बिहार सरकार गैरयोजना

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–3/आ0 वि0 (संधा0)–01–03/2016– 145

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, (भा0प्र0से0)

निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी ।

(संलग्न सूची के अनुसार)

पटना, दिनांक– 30.03.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मद से अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में रू0 46,90,000/– (छियालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है किवर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गैरयोजना मद से अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारणार्थ प्रथम चरण के लिए कुल 8,01,50,200/–रु0 (आठ करोड एक लाख पचास हजार दो सौ रुपये)तथाविभागीय आवंटनादेश संख्या–23, दिनांक–18.07.2016 द्वारा कुल 20,38,82,500/–रु0 (बीस करोड अड़तीस लाख बिरासी हजार पाँच सौ रुपये)मात्र की राशि आवंटित की गई थी।

जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक–133, दिनांक–20.02.2017 द्वारा वेतनादि मद में कुल–8,85,825/–(आठ लाख पचासी हजार आठ सौ पचीस रूपये) मात्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–330, दिनांक–23.03.2017 द्वारा वेतनादि मद में कुल–19,37,026/–(उनीस लाख सैतीस हजार छब्बीस रूपये) मात्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक–14 (वि0), दिनांक–24.03.2017 द्वारा वेतनादि मद में कुल–18,67,166/–(अठारह लाख सड़सठ हजार एक सौ छियासठ रूपये) मात्र इस प्रकार कुल–46,90,017/–(छियालीस लाख नब्बे हजार सत्रह रूपये) मात्र की राशि का प्रत्यार्पण हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त प्रत्यार्पित राशि कुल–46,90,017/–(छियालीस लाख नब्बे हजार सत्रह रूपये) मात्र में से विभिन्न जिलों से वेतन एवं भत्ते मद में जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा मांग के आलोक में अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में 46,90,000/–(छियालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैरयोजना आय–व्यय शीर्ष मांग संख्या–44–''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0003–आवासीय विद्यालय–कूट संख्या 0101–वेतन,0103–जीवन यापन भत्ता, 0104–मकान किराया भत्ता, 0105–परिवहन भत्ता, 0106–चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं0–**N2225012770003** के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे । संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक–एम0–4–05/ 98–2607/ बि(2) दिनांक–20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– आवंटित राशि से अतिरिक्त राशि की मांग हेतु विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की वास्तविक संख्या के अनुरूप वेतन, जी0या0 भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता में मांग पत्र प्रस्तुत किया जाय।

6– आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7– व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रुप से निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–3/आ0 वि0 (संधा0)–01–03/2016– 145 पटना, दिनांक– 30.03.17

प्रतिलिपिः–विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सम्बंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्यय पदा0/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैरयोजनान्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी:–

क्र0सं0	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	वेतन एवं भत्ते मद में आवंटित राशि (रु0 में)
1	2	3	4
1	नवादा	रा0 अ0 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, नवादा	900000
9	नवादा	रा0 अ0 आवासीय बालक उच्च विद्यालय, रजौली	900000
2	समस्तीपुर	रा0 अ0 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, समस्तीपुर	1000000
3	समस्तीपुर	रा0 अ0 आवासीय बालक उच्च विद्यालय, रोसड़ा	800000
4	रोहतास	रा0 अ0 आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सासाराम	1090000
कुल योग			**4690000**

(छियालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र।

पत्रांक– 145 दिनांक– 30.03.17

निदेशक,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।